रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122022-240899 CG-DL-E-08122022-240899

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944

No. 305]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2022

सं. 42/2015-2020

विषय : उदगम प्रमाण पत्र (गैर—तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत विदेश व्यापार नीति, 2015—20 के परिशिष्ट—2ड. के तहत एजेंसी को सूचीबद्ध करने के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/28/एएम-19/पी.सी- **॥ (ख)**/ई-16025.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु निम्नलिखित एजेंसी को प्राधिकृत करते हैं:

वेस्टर्न यू.पी. चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,

बॉम्बे बाज़ार (हनुमान चौक के पास),

मेरठ कैंट— 250001 (उत्तर प्रदेश)

दूरभाषः 0121-2661177, 2661238

फैक्सः 0121–2661685

ई–ਸੇਕ: wupcc@rediffmail.com, wupcci1945@gmail.com

वेबसाइटः wupcc.org

8189 GI/2022 (1)

2. तद्नुसार, विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] की क्रम संख्या 10 (उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड) पर वेस्टर्न यू.पी. चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, के नाम को शामिल किया जाता है।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत वेस्टर्न यू.पी. चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मेरठ को उद्गम प्रमाण पत्र (गैर—तरजीही) जारी करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

> संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th December, 2022

No. 42 /2015-2020

Subject: Enlistment of an Agency under Appendix 2E of FTP, 2015-2020 - authorized to issue Certificate of Origin (Non-preferential) – reg.

F. No. 01/93/180/28/AM-19/PC.II(B)/E-16025.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby authorizes following agency to issue Certificate of Origin (Non Preferential):

Western U.P. Chamber of Commerce & Industry

Bombay Bazar (Near Hanuman Chowk),

Meerut Cantt – 250001 (Uttar Pradesh)

Tel no.: 0121-2661177, 2661238

Fax: 0121-2661685

E-mail: wupcc@rediffmail.com, wupcci1945@gmail.com

Website: wupcc.org

2. Accordingly, the name of Western U.P. Chamber of Commerce & Industry is added at Serial No. 10 (Uttar Pradesh/ Uttarakhand) of Appendix 2E [List of Agencies Authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential)] to Appendices & Aayat Niryat Forms of FTP (2015-2020).

3. Effect of this Public Notice:

Western U.P. Chamber of Commerce & Industry, Meerut is enlisted under Appendix 2E of FTP, 2015-20 for issuing Certificate of Origin (Non Preferential).

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.